आनंद विभाग
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय

क्रमांक-261/आ.वि./ 2017 भोपाल दिनांक 20 DEC 2017

प्रति,

अति.मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव- उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा,
तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र.शासन,
आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा
निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा

विषयः- प्रदेश में आनंद विभाग के अंतर्गत आनंद अनुसंधान प्रोजेक्ट, आनंद फैलोशिप तथा आनंद शोध एवं प्रोजेक्ट पुरस्कार के संबंध में ।

---00---

प्रदेश के शिक्षण एवं शोध संस्थानो में आंनद विषय पर अध्ययन, शोध / अनुसंधान करने तथा इसे बढावा देने के लिये निम्नानुसार कार्यक्रम आरंभ किये जा रहे है:-

आनंद अनुसंधान प्रोजेक्ट

उद्देश्य :- 1. आनंद के विषय पर उच्च स्तरीय अध्ययन एवं अनुसंधान बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट।

2. प्रदेश में आनंद के प्रसार के लिए उपायों पर अनुसंधान करना।

चयन :- 1. आनंद अनुसंधान प्रोजेक्ट के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण राज्य आनंद संस्थान द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

2. समिति आवेदन/प्रस्ताव का परीक्षण इस आधार पर करेगी कि क्या संबंधित आवेदक द्वारा प्रस्तावित शोध से प्रदेश में आनंद का वातावरण बनाने, आनंद के विषय में समझ विकसित करने एवं उसकी वृद्धि करने में सहायक होने की संभावना है।

3. एक वर्ष में अधिकतम 5 प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जावेंगे।

अनुदान :- 1. प्रत्येक अनुसंधान प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम राशि रूपये 10 लाख की सहायता प्रदान की जा सकेगी।

2. प्रोजेक्ट अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी।

3. अनुदान सहायता अनुसंधान प्रस्ताव के स्वरूप के आधार पर निर्धारित लक्ष्य (milestone) की पूर्ति पर की जा सकेगी।

4. अनुदान प्रदान करने का स्वरूप स्वीकृति पत्र में परिभाषित किया जायेगा।

पात्रता :- 1. भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष हो।

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान या शोध संस्थान भी आनंद अनुसंधान प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर सकते है।

2. आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान या शोध संस्थान से सम्बंधित या संलग्न होना आवश्यक होगा।
3. आवेदक पीएचडी धारक हो एवं शोध कार्य करने का समुचित अनुभव हो।
4. जो आनंद एवं खुशहाली के विषय पर कार्य करने, शोध करने या लेखन की समझ / अनुभव रखता हो। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्य करने का अनुभव वांछनीय होगा।

आनंद फैलोशिप

उद्देश्य:- प्रदेश में आनंद के विषय पर एक्शन रिसर्च, अध्ययन एवं प्रोजेक्ट वर्क को प्रोत्साहित करना।

चयन:-

1. आनंद फैलोशिप प्राप्त करने के लिए प्रेषित आवेदन पत्रों का परीक्षण राज्य आनंद संस्थान द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
2. समिति यह परीक्षण करेगी कि क्या प्रस्तावित गतिविधियां/ शोध आनंद के विषय की समझ विकसित करने एवं उसकी वृद्धि करने में सहायक होगा या नहीं ?
3. इस प्रयोजन के लिए संबंधित व्यक्ति का साक्षात्कार किया जाएगा तथा उसके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में यथा आवश्यक संशोधन भी किए जा सकेंगे।
4. अधिकतम 10 फैलोशिप प्रतिवर्ष स्वीकृत की जाएँगी ।

अनुदान:-

1. आनंद फैलोशिप के अंतर्गत चयनित व्यक्ति को प्रतिवर्ष रू. 3.00 लाख तक की सहायता प्रदान की जा सकेगी।
2. फैलोशिप अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी। अगर आवश्यक होगा तो इसे बढ़ाया जा सकेगा।
3. अनुदान सहायता अनुमोदित प्रस्ताव के स्वरूप के आधार पर प्रतिमाह स्टायपंड अथवा निर्धारित लक्ष्य (milestone) की पूर्ति पर दी जा सकेगी।
4. अनुदान प्रदान करने का स्वरूप स्वीकृति पत्र में स्पष्ट परिभाषित किया जायेगा।

पात्रता:-

1. भारत का कोई भी नागरिक जो स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. जो आनंद एवं खुशहाली के विषय पर कार्य करने, शोध करने या लेखन का अनुभव या समझ रखता हो।

आनंद शोध पुरस्कार

उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आनंद विषय पर शोध को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार

उद्देश्य:- आनंद विषय पर पीएचडी / डी लिट के तहत किये जाने वाले शोधकार्यों को प्रोत्साहित करना ।

चयन:- 1. प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण राज्य आनंद संस्थान द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

2. समिति यह परीक्षण करेगी कि क्या पीएचडी / डी लिट के तहत किया गया शोध आनंद के विषय की समझ विकसित करने एवं उसकी वृद्धि करने में सहायक होगा या नहीं ?

पुरस्कार राशि :-

प्रथम पुरस्कार 01 - स्वर्ण पदक तथा रूपये 100000/-
द्वितीय पुरस्कार 02 - रजत पदक तथा रूपये 50000/-
तृतीय पुरस्कार 04 - कांस्य पदक तथा रूपये 25000/-

प्रक्रिया :- 1. आवेदक को अपना आवेदन, संबंधित संस्था के माध्यम से भेजना होगा।

2. आवेदन / नामांकन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ शोध संस्थान के द्वारा भी किया जा सकेगा।

आनंद प्रोजेक्ट पुरस्कार

शैक्षणिक संस्थाओं में आनंद विषय पर प्रोजेक्ट कार्य को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार

उद्देश्य:- स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं एवं स्कूलों में नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के साथ प्रोजेक्ट कार्य किया जाता है । इन प्रोजेक्ट कार्यों में आनंद विषय को शामिल कर आनंद विषय पर प्रोजेक्ट कार्य को प्रोत्साहित करना ।

चयन:- प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण राज्य आनंद संस्थान द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

पुरस्कार राशि :-

प्रथम पुरस्कार 01 - स्वर्ण पदक तथा रूपये 25,000/-
द्वितीय पुरस्कार 02 - रजत पदक तथा रूपये 15,000/-
सांत्वना पुरस्कार 10 - रूपये 10,000/-

प्रक्रिया :- 1.आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा हायर सेकेंडरी स्कूल का छात्र होना आवश्यक होगा।

2.आवेदक को अपना आवेदन, संबंधित संस्था के माध्यम से भेजना होगा।

3.आवेदक के प्रोजेक्ट कार्य का पर्यवेक्षण सम्बंधित स्कूल के किसी शिक्षक द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

4.प्रोजेक्ट वर्क के समस्त दस्तावेजों की पुष्टि सम्बंधित शिक्षक / संस्था द्वारा की जाएगी।

उपरोक्तानुसार इच्छुक आवेदक / विश्वविद्यालय / संस्था अपने आवेदन, राज्य आनंद संस्थान की वेबसाइट www.anandsansthanmp.in पर कर सकते हैं। अनुरोध है कि उपरोक्त तीनों कार्यक्रम के संबध में संबधित विभाग अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्यरत शिक्षण/शोध संस्थाओ आदि को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आनंद विभाग

क्रमांक-262/आ.वि./2017 भोपाल दिनांक 20 DEC 2017

प्रतिलिपि :-

1. समस्त माननीय कुलपति सूची अनुसार।
2. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, म.प्र. को उपरोक्त तीनों कार्यक्रम के संबंध में अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्यरत समस्त शासकीय महाविद्यालय/शोधसंस्थान/शोधपीठ को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु।

अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आनंद विभाग